

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

ललन प्रसाद सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची-834002.

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- श्री संजय कुमार द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिहसराय-रोसड़ पथ के किनारे एस्सार ऑयल लि० (ESSAR OIL Ltd.) का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कुल 0.01764 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I Approval) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव श्री संजय कुमार, दहु चौक, पो०-कल्याणपुर, थाना-विभुतीपुर, जिला-समस्तीपुर, (बिहार), पिन-848160 द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-190 (ई०) दिनांक-16.02.1994 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। पहुँच पथ के निर्माण के क्रम में 0.01764 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल पर पातित होने वाले वृक्षों की संख्या-शून्य है। वानस्पतिक घनत्व 0.3 से कम अंकित किया गया है। प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किये जाने की सूचना अंकित की गयी है। अतएव दंडात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपबंध समाहित किया जा रहा है।

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र संलग्न है। अपयोजन प्रस्ताव का टोपो सीट एवं Geo-Referenced Map in shape file format प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.01764 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भैल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 11,043/- (ग्यारह हजार तेतालीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. हरितावरण को बनाये रखने के लिये 50 वृक्षों के लौह गैबियन वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक इसके रख-रखाव के लिये आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

4. दंडात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में 50 वृक्षों के लौह गैबियन वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक इसके रख-रखाव के लिये आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
5. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
6. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007 दिनांक-18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (बिल्डिंग बना कर भी) नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव की एक प्रति (मूल रूप में) संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ललन प्रसाद सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि-20/2016...../प0व0, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार/ श्री संजय कुमार, दहु चौक, पो०-कल्याणपुर, थाना-विभुतीपुर, जिला-समस्तीपुर, (बिहार), पिन-848160 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(ललन प्रसाद सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक : वन भूमि-20/2016.303(5)/प0व0, पटना-15, दिनांक.15.10.17.....

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करने एवं पार्ट-2 उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(ललन प्रसाद सिंह)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव